



# जालौन पुलिस



**Meticulous Investigation & Prosecution**

**#OperationConviction**

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त रंजीत पाल पुत्र सुरेन्द्र पाल नि० ग्राम रगौली थाना कोतवाली उरई जनपद जालौन द्वारा वादी की पुत्री के साथ की गयी घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली उरई में मु०अ०सं० 1067/18 (वाद संख्या - 01/2019) धारा 376(3) भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 29.08.2023 को मा० न्यायालय पॉक्सो द्वितीय (मय रेप) उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त रंजीत पाल उपरोक्त को दोषी पाते हुये 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 50,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दिनांक 05.11.2018 को अभियोग पंजीकृत हुआ था। माननीय न्याया० द्वारा आरोप के विचारण के बाद (करीब 04 वर्ष 09 माह में) अभियुक्त को दण्डित किया गया।



ADGC क्रिमिनल वृजराज सिंह  
राजपूत



कोर्ट पैरोकार राहुल लवानियाँ

@jalaunpolice

jalaunpolice

JalaunPolice